Con. 3.1.1.46
1000

अंक 1
संख्या 1

सोमवार
9 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. अस्थायी सभापति का निर्वाचन 1
2. शुभ-कामनाओं के सन्देश 2
3. ब्रिटिश बलूचिस्तान के खान अब्दुस्समद खां का चुनाव सम्बन्धी आवेदन 3
4. सभापति का उद्घाटन-भाषण 4
5. उप-सभापति का मनोनीतकरण 13
6. श्री प्रसन्नदेव रैकुट का स्वर्गवास 13
7. परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर 14

प्रथम मुद्रण 1950
पुनः मुद्रण 1994
पुनः मुद्रण 2015

मूल्यः ₹ 4000/-

© 2015 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित तथा जैनको आर्ट इंडिया, 13/10, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित।

प्राक्कथन

भारत का संविधान 26 नवम्बर, 1946 को अंगीकार किया गया और संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी, 1950 को इस पर अपने हस्ताक्षर किए। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ, जब स्वतंत्र भारत ने स्वयं को एक गणराज्य घोषित किया। संविधान के लागू होने के समय से लेकर 64 वर्ष बीत चुके हैं। इस अवधि के दौरान यह संविधान सफल रहा है और यह एक विकसित राजव्यवस्था की आवश्यकताओं पर खरा उतरा है। हमें उन महान व्यक्तियों की दृष्टा, दूरदर्शिता और बुद्धिमता पर आश्चर्य है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण दस्तावेज की रचना की।

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई और उनकी बैठकों का यह क्रम 24 जनवरी, 1950 तक चलता रहा। स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने का ऐतिहासिक कार्य कान्स्टीट्यूशनल हॉल में प्रारंभ हुआ, जिसे अब संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू होने के पश्चात् संविधान सभा अस्तित्व में नहीं रही और 1952 में नई संसद के गठन तक इसने ही भारत की अस्थाई संसद का रूप ले लिया था।

9 दिसंबर, 1946 से 24 जनवरी, 1950 तक के संविधान सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का मुद्रण पहली बार 1950 में किया गया। लोक सभा सचिवालय ने इन वाद-विवादों का पुन:मुद्रण वर्ष 1994 में किया। वाद-विवाद के एक पूरे सेट में अनुक्रमणिका सहित 8 पुस्तकें शामिल हैं। सांसदों, शोधकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) को पुन:मुद्रित किया गया है।

इस पुन:मुद्रण को परामर्श करने हेतु अधिक उपयोगी और आसान बनाने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेदों और प्रारूप संविधान में संगत खंडों तथा संबंधित अनुच्छेदों पर चर्चा एवं अनुमोदन की तिथियों को दर्शाने वाला एक सारणीबद्ध विवरण शामिल किया गया है। यह विवरण पुस्तक संख्या 1 के प्रारंभिक पृष्ठों पर उपलब्ध है। इससे पाठक अधिक आसानी से विभिन्न अनुच्छेदों पर हुए वाद-विवाद का पता लगा सकेंगे। साथ ही, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का एक दुर्लभ सामूहिक फोटोग्राफ तथा भारत के संविधान की सुलेखित प्रतिलिपि से उद्धृत संविधान सभा के सदस्यों के प्रतिरूपित हस्ताक्षर भी पहली बार पुस्तक संख्या 1 में शामिल किए गए हैं।

आशा है कि यह प्रकाशन सभी सांसदों, शोधकर्ताओं, राजनीतिशास्त्र के छात्रों, वकीलों और अन्य पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी सिद्ध होगा।

नई दिल्ली;
जुलाई, 2015, श्रावण, 2037

अनूप मिश्र
महासचिव।

भारतीय संविधान सभा

अध्यक्ष :

माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

अस्थायी अध्यक्ष :

डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा

संवैधानिक सलाहकार :

सर बी.एन. राव, *सी.आई.ई.*

सचिव :

श्री एच.वी.आर. आयंगर

सी.आई.ई., आई.सी.एस.

उप सचिव :

श्री बी.एफ.एच.बी. तैयबजी

आई.सी.एस.

अवर सचिव :

खान बहादुर एस.जी. हस्नैन

सहायक सचिव :

श्री के.वी. पद्मनाभन

मार्शल :

सूबेदार मेजर हरबन्स राय जैदका

भारत के संविधान के अनुच्छेद

भारत के संविधान का अनुच्छेद	प्रारूप संविधान में संगत खंड	चर्चा और अनुमोदन की तिथियां
1	2	3
1	1	15 और 17 नवम्बर, 1948 17 और 18 सितम्बर, 1949
2	2	17 नवम्बर, 1948
3	3	17 और 18 नवम्बर, 1948 13 अक्तूबर, 1949
4	4	18 नवम्बर, 1948
5	5	10, 11 और 17 अगस्त, 1949
6	5क	10, 11 और 12 अगस्त, 1949
7	5ककक	10, 11 और 12 अगस्त, 1949
8	5ख	10, 11 और 12 अगस्त, 1949
9 (नया)		29 नवम्बर, 1949
10	5ग	10, 11 और 12 अगस्त, 1949
11	6	10, 11 और 12 अगस्त, 1949
12	7	25 नवम्बर, 1948
13	8	25, 26 और 29 नवम्बर, 1948
14 (नया)		29 नवम्बर, 1948
15	9	29 नवम्बर, 1948
16	10	30 नवम्बर, 1948
17	11	29 नवम्बर, 1948
18	12	30 नवम्बर, 1948 और 10 दिसम्बर, 1948
19	13	1 और 2 दिसम्बर 1948 तथा, 16 और 17 अक्तूबर, 1949
20	14	2, 3 और 6 दिसम्बर, 1948
21	15	6 और 13 दिसम्बर, 1948
22	15क	16 सितम्बर, 1949
23	17	3 दिसम्बर, 1948
24	18	3 दिसम्बर, 1948
25	19	3 और 6 दिसम्बर, 1948
26	20	7 दिसम्बर, 1948

1	2	3
27	21	7 दिसम्बर, 1948
28	22	7 दिसम्बर, 1948
29	23	7 और 8 दिसम्बर, 1948
30	23क	7 और 8 दिसम्बर, 1948
31	24	10 और 12 सितम्बर, 1949
32	25	9 दिसम्बर, 1948
33	26	9 दिसम्बर, 1948
34	(नया)	
35	27	9 और 16 दिसम्बर 1948 तथा 16 अक्तूबर, 1949
36	28	19 नवम्बर, 1948
37	29	19 नवम्बर, 1948
38	30	19 नवम्बर, 1948
39	31	22 नवम्बर, 1948
40	31क	22 नवम्बर, 1948
41	32	23 नवम्बर, 1948
42	33	23 नवम्बर, 1948
43	34	23 नवम्बर, 1948
44	35	23 नवम्बर, 1948
45	36	23 नवम्बर, 1948
46	37	23 नवम्बर, 1948
47	38	23 और 24 नवम्बर, 1948
48	38क	24 नवम्बर, 1948
49	39	24 नवम्बर, 1948
50	39क	24 और 25 नवम्बर, 1948
51	40	25 नवम्बर, 1948
52	41	10 दिसम्बर, 1948
53	42	10 और 16 दिसम्बर, 1948 तथा 16 अक्तूबर, 1949
54	43	10 और 13 दिसम्बर, 1948
55	44	13 दिसम्बर, 1948
56	45	13 दिसम्बर, 1948
57	46	13 दिसम्बर, 1948
58	47	27 दिसम्बर, 1948 और 13 अक्तूबर, 1949
59	48	27 दिसम्बर, 1948 और 14 अक्तूबर, 1949

1	2	3
60	49	27 दिसम्बर, 1948
61	50	28 दिसम्बर, 1948
62	51	28 दिसम्बर, 1948
63	52	28 दिसम्बर, 1948
64	53	28 दिसम्बर, 1948
65	54	28 दिसम्बर, 1948
66	55 (1)-(4)	28 और 29 दिसम्बर, 1948 तथा 13 अक्तूबर, 1949
67	56	29 दिसम्बर, 1948
68	55 (5)-(6)	28 और 29 दिसम्बर, 1948 तथा 13 अक्तूबर, 1949
69	(नया)	नवम्बर, 1949
70	57	29 दिसम्बर, 1948
71	58	29 दिसम्बर, 1948
72	59	29 दिसम्बर, 1948 और 17 अक्तूबर, 1949
73	60	29 और 30 दिसम्बर, 1948
74	61	30 दिसम्बर, 1948
75	62	30 और 31 दिसम्बर, 1948 तथा 14 और 17 अक्तूबर, 1949
76	63	7 जनवरी, 1949
77	64	7 जनवरी, 1949
78	65	6 और 7 जनवरी, 1949
79	66	3 जनवरी, 1949
80	67 (1)-(4)	3 और 4 जनवरी, 1949 तथा 13 और 17 अक्तूबर, 1949
81	67 (5)-(8)	3 और 4 जनवरी, 1949 तथा 10, 14 और 17 अक्तूबर, 1949
82	67क	18 और 23 मई, 1949 तथा 13 अक्तूबर, 1949
83	68	18 मई, 1949
84	68क	18 मई, 1949
85	69	18 मई, 1949
86	70	18 मई, 1949
87	71	18 मई, 1949
88	72	18 मई, 1949
89	73	19 मई, 1949
90	74	19 मई, 1949

1	2	3
91	75	19 मई, 1949
92	75क	19 मई, 1949
93	76	19 मई, 1949
94	77	19 मई, 1949
95	78	19 मई, 1949
96	78क	18 और 19 मई, 1949
97	79	19 मई, 1949
98	79क	30 जुलाई, 1949
99	81	19 मई, 1949
100	80	19 मई, 1949
101	82	19 मई, 1949
102	83	19 मई, 1949 और 13 अक्तूबर, 1949
103	83क	1 अगस्त, 1949
104	84	19 मई, 1949
105	85	19 मई, 1949 और 16 अक्तूबर, 1949
106	86	20 मई, 1949
107	87	20 मई, 1949
108	88	20 मई, 1949
109	89	20 मई, 1949
110	90	20 मई, 1949 और 8 जून, 1949
111	91	20 मई, 1949
112	92	8 और 10 जून, 1949 तथा 13 अक्तूबर, 1949
113	93	10 जून, 1949
114	94	10 जून, 1949
115	95	10 जून, 1949
116	96	10 जून, 1949
117	97	10 जून, 1949
118	98	10 जून, 1949
119	98क	10 जून, 1949
120	99	17 सितम्बर, 1949
121	100	23 मई, 1949 और 13 अक्तूबर, 1949
122	101	23 मई, 1949
123	102	23 मई, 1949

1	2	3
124	103	23 और 24 मई, 1949
125	104	27 मई, 1949 और 30 जुलाई, 1949
126	105	27 मई, 1949
127	106	27 मई, 1949
128	107	27 मई, 1949
129	108	27 मई, 1949
130	108क	27 मई, 1949
131	109	3 जून, 1949 और 14 अक्तूबर, 1949
132	110	3 जून, 1949
133	111	3 और 6 जून, 1949 तथा 16 अक्तूबर, 1949
134	111क	13 और 14 जून, 1949
135	112ख	
136	112	6 जून, 1949 और 16 अक्तूबर, 1949
137	112क	6 जून, 1949
138	114	6 जून, 1949
139	115	27 मई, 1949
140	116	27 मई, 1949
141	117	27 मई, 1949
142	118	27 मई, 1949
143	119	27 मई, 1949
144	120	27 मई, 1949
145	121	6 जून, 1949
146	122	27 मई, 1949
147	122क	6 जून, 1949 और 16 अक्तूबर, 1949
148	124	30 मई, 1949
149	125	30 मई, 1949
150	126	30 मई, 1949
151	127	30 मई, 1949
152	128	30 मई, 1949
153	129	30 मई, 1949
154	130	30 मई, 1949 और 16 अक्तूबर, 1949
155	131	30 और 31 मई, 1949
156	132	31 मई, 1949

1	2	3
157	134	31 मई, 1949
158	135	31 मई, 1949 और 14 अक्तूबर, 1949
159	136	31 मई, 1949
160	138	1 जून, 1949
161	141	1 जून, 1949 और 17 अक्तूबर, 1949
162	142	1 जून, 1949
163	143	1 जून, 1949
164	144	1 जून, 1949 और 14 अक्तूबर, 1949
165	145	1 जून, 1949
166	146	2 जून, 1949
167	147	2 जून, 1949
168	148	6 जनवरी, 1949
169	148क	30 जुलाई, 1949
170	149	6, 7 और 8 जनवरी, 1949 तथा 14 अक्तूबर, 1949
171	150	2 जून, 1949, 30 जुलाई, 1949 और 19 अगस्त, 1949
172	151	2 जून, 1949
173	152	2 जून, 1949
174	153	2 जून, 1949
175	154	2 जून, 1949
176	155	2 जून, 1949
177	156	2 जून, 1949
178	157	2 जून, 1949
179	158	2 जून, 1949
180	159	2 जून, 1949
181	159क	2 जून, 1949
182	160	2 जून, 1949
183	161	2 जून, 1949
184	162	2 जून, 1949
185	162क	2 जून, 1949
186	163	3 जून, 1949
187	163क	30 जुलाई, 1949
188	165	2 जून, 1949

1	2	3
189	164	2 और 16 जून, 1949
190	166	2 जून, 1949
191	167	2 जून, 1949
192	167क	14 जून, 1949
193	168	3 जून, 1949
194	169	3 जून, 1949 और 16 अक्तूबर, 1949
195	170	3 जून, 1949
196	171	3, 4 और 14 जून, 1949
197	172	30 जुलाई, 1949 और 1 अगस्त, 1949
198	173	10 जून, 1949
199	174	10 जून, 1949
200	175	14 जून, 1949, 31 जुलाई, 1949, 1 अगस्त, 1949 और 17 अक्तूबर, 1949
201	176	1 अगस्त, 1949
202	177	10 जून, 1949
203	178	10 जून, 1949
204	179	10 जून, 1949
205	180	10 जून, 1949
206	181	10 जून, 1949
207	182	10 जून, 1949
208	183	10 जून, 1949
209	183क	10 जून, 1949
210	184	10 जून, 1949 और 17 सितम्बर, 1949
211	185	10 जून, 1949
212	186	10 जून, 1949
213	187	14 जून, 1949
214	191	6 जून, 1949
215	192	6 जून, 1949
216	192क	6 जून, 1949
217	193	6 और 7 जून, 1949
218	194	7 जून, 1949
219	195	7 जून, 1949
220	196	7 जून, 1949

1	2	3
221	197	7 जून, 1949
222	198	1 अगस्त, 1949
223	199	7 जून, 1949
224	200	7 जून, 1949
225	201	7 जून, 1949
226	202	7 जून, 1949 और 9 सितम्बर, 1949
227	203	7, 14 और 15 जून, 1949 तथा 16 अक्तूबर, 1949
228	204	7 और 8 जून, 1949
229	205	8 जून, 1949
230	207	14 जून, 1949
231	208	14 जून, 1949
232	209	14 जून, 1949
233	209क	19 जून, 1949 और 16 सितम्बर, 1949
234	209ख	16 सितम्बर, 1949
235	209ग	16 सितम्बर, 1949
236	209घ	16 सितम्बर, 1949
237	209ङ	16 सितम्बर, 1949
238	211क	12 और 13 अक्तूबर, 1949
239	212	1 अगस्त, 1949
240	213	1 और 2 अगस्त, 1949
241	213क	2 अगस्त, 1949 और 16 अक्तूबर, 1949
242	214	2 अगस्त, 1949
243	215	16 सितम्बर, 1949
244	215ख	19 अगस्त, 1949
245	216	13 जून, 1949
246	217	13 जून, 1949
247	219	13 जून, 1949
248	223	13 जून, 1949
249	226	13 जून, 1949
250	227	13 जून, 1949
251	228	13 जून, 1949
252	229	13 जून, 1949

1	2	3
253	230	13 जून, 1949 और 14 अक्तूबर, 1949
254	231	13 जून, 1949
255	232	13 जून, 1949
256	233	13 जून, 1949
257	234-234क	13 जून, 1949 और 9 सितम्बर, 1949
258	235	13 जून, 1949 और 13 अक्तूबर, 1949
259	235क	13 जून, 1949
260	236	13 जून, 1949 और 13 अक्तूबर, 1949
261	238	13 जून, 1949
262	242क	9 सितम्बर, 1949
263	246	13 जून, 1949
264	247	13 जून, 1949 और 4 अगस्त, 1949
265	248	4 अगस्त, 1949
266	248क	4 अगस्त, 1949 और 7 सितम्बर, 1949
267	248ख	4 अगस्त, 1949 और 13 अक्तूबर, 1949
268	249	4 और 5 अगस्त, 1949
269	250	5 और 19 अगस्त, 1949 तथा 9 सितम्बर, 1949
270	251	5 अगस्त, 1949
271	252	5 अगस्त, 1949
272	253	5 और 8 अगस्त, 1949
273	254	8 अगस्त, 1949
274	254क	8 अगस्त, 1949
275	255	8 और 9 अगस्त, 1949
276	256	9 अगस्त, 1949
277	257	9 अगस्त, 1949
278	258	13 अक्तूबर, 1949
279	259	9 अगस्त, 1949
280	260	9 और 10 अगस्त, 1949
281	261	10 अगस्त, 1949
282	262	10 अगस्त, 1949
283	263	10 अगस्त, 1949, 9 सितम्बर, 1949 और 13 अक्तूबर, 1949
284	263क	9 सितम्बर, 1949

1	2	3
285	264	9 सितम्बर, 1949
286	264क	16 अक्तूबर, 1949
287	265	9 सितम्बर, 1949
288	265क	9 सितम्बर, 1949
289	266	9 सितम्बर, 1949
290	267	10 अगस्त, 1949
291	267क	13 अक्तूबर, 1949
292	268	10 अगस्त, 1949
293	269	10 अगस्त, 1949
294	270	15 जून, 1949 और 13 अक्तूबर, 1949
295	270क	13 अक्तूबर, 1949
296	271	15 जून, 1949
297	271क	15 जून, 1949
298	272	15 जून, 1949
299	273	15 जून, 1949
300	274	15 जून, 1949
301	274क	15 जून, 1949 और 8 सितम्बर, 1949
302	274ख	8 सितम्बर, 1949
303	274ग	8 सितम्बर, 1949
304	274घ	8 सितम्बर, 1949
305	274घघघ	8 सितम्बर, 1949 और 13 अक्तूबर, 1949
306	274घघ	8 सितम्बर, 1949, 13 अक्तूबर, 1949 और 16 अक्तूबर, 1949
307	274ङ	8 सितम्बर, 1949
308	281	7 सितम्बर, 1949
309	282	7 सितम्बर, 1949
310	282क	7 सितम्बर, 1949
311	282ख	8 सितम्बर, 1949
312	282ग	8 सितम्बर, 1949
313	283	8 सितम्बर, 1949
314	283क	10 अक्तूबर, 1949
315	284	22 अगस्त, 1949
316	285	22 अगस्त, 1949

1	2	3
317	285क	22 अगस्त, 1949
318	285ख	22 अगस्त, 1949
319	285ग	22 अगस्त, 1949
320	286	23 अगस्त, 1949
321	287	23 अगस्त, 1949
322	288	23 अगस्त, 1949
323	288क	23 अगस्त, 1949
324	289	15 और 16 जून, 1949
325	289क	16 जून, 1949
326	289ख	16 जून, 1949
327	290	16 जून, 1949
328	291	16 जून, 1949
329	291क	16 जून, 1949
330	292	23 और 24 अगस्त, 1949
331	293	24 अगस्त, 1949
332	294	24 अगस्त, 1949
333	295	24 अगस्त, 1949
334	295क	24 और 25 अगस्त, 1949
335	296	26 अगस्त, 1949 और 14 अक्तूबर, 1949
336	297	16 जून, 1949
337	298	16 जून, 1949
338	299	26 अगस्त, 1949 और 14 अक्तूबर, 1949
339	300	16 जून, 1949
340	301	16 जून, 1949
341	300क	17 जून, 1949
342	300ख	17 जून, 1949
343	301क	12, 13 और 14 सितम्बर, 1949
344	301ख	12, 13 और 14 सितम्बर, 1949
345	301ग	12, 13 और 14 सितम्बर, 1949
346	301घ	12, 13 और 14 सितम्बर, 1949
347	301ङ	12, 13 और 14 सितम्बर, 1949
348	301च	12, 13 और 14 सितम्बर, 1949
349	301छ	12, 13 और 14 सितम्बर, 1949

1	2	3
350	301ज	12, 13 और 14 सितम्बर, 1949
351	301झ	12, 13 और 14 सितम्बर, 1949
352	275	2 अगस्त, 1949
353	276	3 अगस्त, 1949
354	277	19 और 20 अगस्त, 1949
355	277क	3 और 4 अगस्त, 1949
356	278	3 और 4 अगस्त, 1949
357	278क	3 और 4 अगस्त, 1949
358	279	4 अगस्त, 1949
359	280	4 और 20 अगस्त, 1949
360	280क	16 अक्तूबर, 1949
361	302	8 सितम्बर, 1949
362	302क	13 अक्तूबर, 1949
363	302कक	16 अक्तूबर, 1949
364	302ककक	17 अक्तूबर, 1949
365(नया)		
366	303(1)	16 और 17 सितम्बर, 1949 तथा 14 अक्तूबर, 1949
367	303(2 और 3	—तदैव—
368	304	17 सितम्बर, 1949
369	306	7 अक्तूबर, 1949
370	306क	13 और 17 अक्तूबर, 1949
371	306ख	13 अक्तूबर, 1949
372	307	10 अक्तूबर, 1949
373(नया)		
374	308	10 अक्तूबर, 1949
375	309	7 अक्तूबर, 1949
376	310	10 अक्तूबर, 1949
377	310क	7 अक्तूबर, 1949
378	310ख	7 अक्तूबर, 1949
379	311	10 और 11 अक्तूबर, 1949
380	311क	7 अक्तूबर, 1949

1	2	3
381	311ख	7 अक्तूबर, 1949
382	312	7 अक्तूबर, 1949
383	312क	7 अक्तूबर, 1949
384	312ख	7 अक्तूबर, 1949
385	312ग	7 अक्तूबर, 1949
386	312घ	7 अक्तूबर, 1949
387	312ङ	7 अक्तूबर, 1949
388	312च	4, 7 और 11 अक्तूबर, 1949
389	312छ	7 अक्तूबर, 1949
390	312ज	7 अक्तूबर, 1949
391(नया)		
392	313	7 अक्तूबर, 1949
393	313क	17 अक्तूबर, 1949
394	314	17 अक्तूबर, 1949
395	315	17 अक्तूबर, 1949

अनुसूची	तिथि
1	14 और 15 अक्तूबर, 1949
2	11 और 12 अक्तूबर, 1949
3	26 और 16 अक्तूबर, 1949
4 (अनुसूची-तीन-क) ..	17 अक्तूबर, 1949
5	5 सितम्बर, 1949
5 (भाग घ).....	5 सितम्बर, 1949
6	5, 6 और 7 सितम्बर, 1949
.....	पैरा एक, 5 सितम्बर, 1949, पैरा 2-15, 6 सितम्बर, 1949 और पैरा 16-20, 7 सितम्बर, 1949
7	26, 29 , 30 और 31 अगस्त, 1949, 1, 2, 3 और 9 सितम्बर, 1949 तथा 13 और 17 अक्तूबर, 1949
8 (अनुसूची-सात-क) ..	14 सितम्बर, 1949

भारतीय विधान-परिषद्

सोमवार, 9 दिसम्बर सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद् की प्रथम बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में सोमवार ता. 9 दिसम्बर 1946 के सवेरे 11 बजे बैठी

अस्थायी सभापति का चुनाव

आचार्य जे.बी. कृपलानी *(संयुक्तप्रांत : जनरल): (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा से अस्थायी सभापति वे नाते सभापति का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करते हुए) आपने कहा:*

मित्रों, इस ऐतिहासिक और शुभ अवसर पर आप लोगों की ओर से मैं डॉ. सच्चिदानन्द सिनहा को आमंत्रित करता हूं कि वह अस्थायी सभापति का आसन ग्रहण करें। डॉक्टर साहब का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आप लोग जानते हैं। वह हम लोगों में न केवल वयोवृद्ध ही हैं, वरन् भारत के सबसे पुराने पार्लियामेन्टेरियन भी हैं। आप सन् 1910 से 1920 तक इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य रह चुके हैं और इसके अलावा सन् 1921 में आप सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव एसेम्बली के न सिर्फ सदस्य बल्कि उसके उप-सभापति (Deputy President) भी थे। उसके बाद आप बिहार और उड़ीसा की गवर्नमेंट में एक्जीक्यूटिव कौंसिलर (Executive Councill or) और अर्थ-सदस्य (Finance Member) रहे। जहां तक मुझे याद है, प्रथम भारतीय जो किसी प्रांतीय सरकार में अर्थ-सदस्य बना, वह डॉक्टर सिनहा ही थे। आप जानते हैं कि शिक्षा के साथ आपका खास सम्बन्ध है। आप आठ वर्ष तक पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं। इन सब बातों के अलावा आप लोग यह भी जानते हैं कि डॉ. सिनहा सबसे पुराने कांग्रेसी हैं। सन् 1920 तक आप बराबर कांग्रेस के सदस्य थे और एक समय आप इसके मंत्री भी रह चुके हैं।

सन् 1920 के बाद जब हम आजादी हासिल करने के लिए एक नई राह पर चले, तो आप हमसे अलग हो गए। फिर भी आपने हमें कभी भी बिलकुल छोड़ नहीं दिया। हमेशा से ही आप हम लोगों की मदद करते आ रहे हैं। आप कभी किसी दूसरे संगठन में शामिल नहीं हुए और आपकी सहानुभूति सदा हमारे

साथ रही हैं ऐसा व्यक्ति इस विधान-परिषद् का अस्थायी सभापति होने का सर्वथा अधिकारी है। उनका कार्य है इस परिषद् की कार्रवाई का उद्घाटन करना। यह काम अल्पकालीन है, पर है बड़े महत्त्व का। हम लोग हर एक काम परमात्मा के मंगलमय आशीर्वाद से प्रारम्भ करते हैं अतः हम आदरणीय डॉ. सिनहा से अनुरोध करेंगे कि वे इस आशीर्वाद का आवाहन करें, ताकि हमारा काम सुचारु रूप से चले। अब मैं पुनः आपकी ओर से डॉ. सिनहा से सभापति का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं।

(इसके बाद आचार्य कृपलानी ने डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा को सभापति के आसन तक आदर के साथ पहुंचाया और हर्षध्वनि के बीच आप उस पर विराजमान हुए।)

शुभ-कामनाओं के संदेश

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): माननीय सदस्य, आज मैं आपको शुभ-कामना के तीन सम्वाद सुनाता हूँ, जो मुझे अमेरिका और चीन के जिम्मेदार राजकीय पदाधिकारियों तथा आस्ट्रेलिया की सरकार से प्राप्त हुए हैं। अमेरिकन सरकार के भारत स्थित प्रतिनिधि लिखते हैं:

प्रिय डॉ. सिन्हा,

निम्नलिखित तार मुझे अमेरिका के स्थानापन्न सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिला है। इसे आपके पास भेजने में मुझे बड़ी खुशी है।

तार की इबारत यों है:

''स्थानापन्न सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाशिंगटन डी.सी. से-

डॉक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा

अस्थायी सभापति, विधान-परिषद्,

नई दिल्ली।

नवीं दिसम्बर के आगमन पर मैं, विधान-परिषद् के अस्थायी सभापति होने के नाते आपको और आपके द्वारा भारतीय जनता को इस महान अर्थ की सफलता के लिए, जो आप प्रारम्भ करने जा रहे हैं, अमेरिकन सरकार एवं अमेरिका की जनता की शुभ-कामनाएं समर्पित करता हूं। मानवजाति के स्थायित्व, शान्ति और सांस्कृतिक समुन्नति के लिए भारत को बहुत कुछ देना है। आपके काम को संसार की स्वातंत्र्य-प्रेमी जनता गम्भीर उत्साह और आशा से देखेगी।''

(हर्षध्वनि)

दूसरा सम्वाद मिला है चीनी प्रजातन्त्र के दूत से, जो यों है:

''नई दिल्ली,

विधान-परिषद् के प्रारम्भिक सभापति डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा को:—विधान-परिषद् के उद्घाटन समारोह के शुभ अवसर पर मैं आपको चीन की राष्ट्रीय सरकार की ओर से ससम्मान अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। मेरी हार्दिक कामना है कि आपकी यह विधान-परिषद् सुसम्पन्न और प्रजातंत्रीय भारत की ठोस नींव डालने में सफल हो।

वांग शीह चेह

चीन प्रजातंत्र के वैदेशिक मन्त्री''

(हर्षध्वनि)

तीसरा और अन्तिम सम्वाद जो मुझे इस परिषद् को पढ़कर सुनाना है, वह है आस्ट्रेलियन सरकार की तरफ से भारतीय विधान-परिषद् के सदस्यों को; वह यों है:

''आस्ट्रेलिया ने बड़ी दिलचस्पी और हमदर्दी से उस घटनाक्रम को देखा है, जिससे आज भारतीय जनता को विश्व की राष्ट्रसभा में उसका उचित स्थान मिला है। अत: आस्ट्रेलियन सरकार विधान-परिषद् के उद्घाटन के शुभ अवसर पर इसे भारत के नवीन युग का प्रतीक समझ कर, इसकी सफलता के लिए विधान-परिषद् के सदस्यों को अपनी हार्दिक शुभ-कामनाएं भेजती है।''

(हर्षध्वनि)

मुझे विश्वास है, यह सभा मुझे अधिकार और अनुमति देगी कि मैं इसकी तरफ से इन सरकारों को, जिन्होंने हमें ऐसे प्रसन्नता और प्रेरणापूर्ण सम्वाद भेजे हैं, धन्यवाद भेज दूं। मैं यह और भी कहना चाहता हूं कि आपके कार्य की सफलता के लिए यह बड़ा ही शुभ चिह्न है।

(हर्षध्वनि)

ब्रिटिश बलूचिस्तान के खान अब्दुस्समद खां का चुनाव संबंधी आवेदन

सभापति (Chairman): दूसरी चीज जो मुझे इस सभा की निगाह में लानी है, वह यह है कि मुझे ब्रिटिश बलूचिस्तान के खान अब्दुस्समद खां से एक अर्जी मिली है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश बलूचिस्तान की तरफ से नवाब मुहम्मद खां जोगजाई के विधान-परिषद् के प्रतिनिधि होने पर वैधानिक आपत्ति की है। निश्चय ही यह

सभा स्थायी सभापति के चुनाव हो जाने पर यथासमय इस मामले पर ध्यान देगी। पर, मेरा यह निर्णय है कि स्थायी सभापति के चुनाव हो जाने पर जब तक इस मामले का फैसला नहीं हो जाता, तब तक यही सदस्य जो प्रतिनिधि घोषित किये गये हैं, इस सभा के सदस्य बने रहेंगे।

कार्यक्रम का दूसरा विषय है, अस्थायी सभापति का उद्घाटन विषयक भाषण। मैं यथाशक्ति कोशिश करूंगा कि सारा भाषण पढ़कर सुना दूं, पर यदि इसमें मुझे थकावट मालूम हुई, तो आप कृपया मुझे अनुमति दे कि भाषण की टाइप की हुई प्रति सर बी.एन. राव को दे दूं जिन्होंने बड़ी कृपा कर मेरी तरफ से इसे पढ़ देने का भार स्वीकार किया है; परन्तु मुझे आशा है इसका अवसर न आयेगा।

सभापति का उद्घाटन-भाषण

प्रथम भारतीय विधान-परिषद् के माननीय सदस्यो, मुझे अपनी विधान-परिषद् का प्रथम सभापति स्वीकार करने में आप सब सहमत हैं, इसके लिए मैं आपका बड़ा ही आभारी हूं। इससे मैं इस सभा के प्रारम्भिक कार्यक्रम को—जैसे स्थायी सभापति का चुनाव, कार्य संचालन के लिये नियम-निर्माण, विभिन्न समितियों की स्थापना, परिषद् की कार्यवाही को जो स्वतंत्र भारत के लिए एक उपयुक्त और स्थायी विधान बनाकर आपके प्रयास को सफल करेगी, गुप्त रखने या प्रकाशन देने आदि का कार्य—सम्पादित कर सकूंगा। आपकी महती कृपा के प्रति प्रशंसात्मक भावना व्यक्त करते हुए मैं अपनी एक और अनुभूति को छिपा नहीं सकता, वह यह है कि मैं ऐसा अनुभव करता हूं—अवश्य ही यह लघुता की महत्ता से तुलना होगी—कि वर्तमान अवसर पर मैं अपने को उसी स्थिति में पाता हूं, जिस में लार्ड पामर्स्टन (Lord Palmerston) ने अपने को उस समय पाया था, जब साम्राज्ञी विक्टोरिया ने उन्हें शूरता की उच्चतम उपाधि ''नाइटहुड ऑफ दी गार्टर'' (Knighthood of the Garter) प्रदान की थी। साम्राज्ञी की इस कृपा को स्वीकार करने के सम्बन्ध में लार्ड पामर्स्टन (Lord Palmerston) ने अपने एक मित्र को यों लिखा था:

> ''मैंने साम्राज्ञी की इस उपाधि को इसलिए कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया है कि परमात्मा को धन्यवाद है—उपाधि प्राप्ति को योग्यता सन्देह से परे हैं।''

मैं खुद को कम या बेशी उसी स्थिति में पाता हूं। यह बात मैं इसलिए कहता हूं कि आपने मुझे अपना सभापति स्वीकार किया है केवल इस आधार पर कि

मैं इस सभा का सबसे वयोवृद्ध सदस्य हूं। अस्तु, चाहे जिन कारणों से भी आपने मुझे सभापति चुना हो, मैं इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूं। सार्वजनिक सेवाओं के लिए मुझे इस दीर्घ जीवन में अनेक सम्मान मिले हैं, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी इस कृपा को सर्वोच्च सम्मान समझता हूं और इसे अपने अवशिष्ट जीवन में सदा सुरक्षित रखूंगा।

इस ऐतिहासिक और स्मरणीय अवसर पर अगर मैं विधान-परिषद् क्या है, इस पहलू पर आपके सामने कुछ बात कहूं तो मुझे विश्वास है कि आप कुछ ख्याल न करेंगे। देश के लिए विधान बनाने की यह राजनैतिक प्रणाली हमारे ब्रिटेन निवासी प्रजा बन्धुओं को नहीं मालूम थी। यह इसलिए कि ब्रिटिश विधान में विधान मूलक नियम (Constituent law) बोल कर कोई चीज नहीं है। सर्वशक्ति सम्पन्न सभा होने के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट को सभी कानूनों को, यहां तक कि विधान मूलक नियमों को भी बनाने और रद्द करने का खास अधिकार या सुविधा प्राप्त है। अतः विधान-परिषद् की वास्तविक स्थिति क्या है, इसे जानने के लिए हमें ब्रिटेन को छोड़ दूसरे देशों की ओर देखना होगा। यूरोप में स्विट्जरलैंड के प्राचीनतम प्रजातंत्र के पास भी वास्तविक अर्थ में विधान मूलक नियम (Constituent Law) नहीं हैं, क्योंकि यह कई शताब्दियां पहले ऐतिहासिक कारणों और घटनाओं के वशवर्ती हो, अपने आज के आकार से कहीं अधिक छोटे आकार में उत्पन्न हुआ था। जो भी हो, स्विट्जरलैंड की वर्तमान वैधानिक प्रणाली ने कई उल्लेखनीय और उपदेशात्मक बातों की पूर्ति की है, जिनकी सिफारिश बड़े-बड़े योग्य अधिकारियों या विद्वानों ने भारतीय विधान निर्माताओं से की है। मुझे विश्वास है, यह सभा स्विस-विधान का ध्यान से मनन करेगी और स्वतंत्र भारत के उपयुक्त-विधान के निर्माण में लाभ उठाने के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश करेगी।

यूरोप का एकमात्र दूसरा राज्य जिसके विधान की ओर सुविधा प्राप्ति के लिए हम दृष्टि डाल सकते हैं, वह है फ्रांस का विधान। इसकी पहली विधान-परिषद् ''फ्रांसीसी राष्ट्रीय परिषद्'' (The French National Assembly) के नाम से सन् 1789 में जब फ्रांसीसी राज्य-क्रान्ति फ्रेन्च राजतंत्र को उखाड़ फेंकने में सफल हुई, बुलाई गई थी। पर तब से समय-समय पर फ्रांसीसी गणतंत्र प्रणाली परिवर्तित होती आई है और फिलहाल भी यह कम या वेशी निर्माण प्रक्रिया में है। अतः यद्यपि विधान मूलक नियमों से सम्बन्ध रखने वाली फ्रांसीसी प्रणाली के अध्ययन से आप उतना लाभ नहीं उठा सकते, जितना कि स्विस प्रणाली के अध्ययन से, फिर भी कोई कारण नहीं कि आप विधान-निर्माण के अपने महान कार्य में उससे जो भी लाभ मिलते हों, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास न करें।

फ्रांसीसी विधान निर्माता, जो सन् 1789 में अपने देश की प्रथम विधान-परिषद् में सम्मिलित हुए थे, वे इससे दो वर्ष पूर्व 1787 में फिलाडेल्फिया में होने वाले अमेरिकन विधान निर्माताओं के ऐतिहासिक विधान-सम्मेलन (Constitutional Convention) की कार्रवाई से वस्तुतः स्वयं बहुत प्रभावित थे। स-पार्लियामेंट ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी राजनिष्ठा (allegiance) का परित्याग कर अमेरिका के विधान-निर्माता समवेत हुए थे और उन्होंने ऐसा विधान बनाया, जो आज दुनिया में सबसे ठोस और व्यावहारिक विधान समझा जाता है और वह है भी ऐसा। यही महान विधान बाद में बने सभी विधानों के लिए, न केवल फ्रांस के, बल्कि कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका प्रभृति ब्रिटिश कामनवेल्थ के स्वायत्त शासन पूर्ण सभी उपनिवेशों के विधानों के लिए आदर्श स्वरूप माना गया था। मुझे सन्देह नहीं है कि आप भी और देशों की विधान-पद्धति की अपेक्षा अमेरिकन विधान-पद्धति की ओर अधिक ध्यान देंगे।

मैंने ऊपर चर्चा की है कि ब्रिटिश कामनवेल्थ के उपनिवेशों के स्वायत्त शासन प्राप्त विधान अगर अमेरिकन विधान की हूबहू प्रति नहीं है, तो कम से कम बहुत हद तक उसके ही आधार पर बने हैं। अमेरिका की विधान-प्रणाली से लाभ उठाने वाला पहला देश कनाडा था। स्व-शासन-विधान बनाने के लिए इस देश का ऐतिहासिक सम्मेलन (Convention) सन् 1864 में केबेक में हुआ था। इसी सम्मेलन ने कनाडा का विधान बनाया, जो बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा सन् 1867 में स्वीकृत ''ब्रिटिश नार्थ अमेरिकन एक्ट'' (The British North American Act) में मिला दिया गया, जो Act आज भी Statute Book में दर्ज है। आपको यह जान कर शायद दिलचस्पी होगी कि केबेक सम्मेलन (Quebek Convention) में केवल 33 प्रतिनिधि ही थे, जो कनाडा के सारे प्रांतों से आये थे और केवल तेंतीस प्रतिनिधियों के इस सम्मेलन ने छिहत्तर प्रस्ताव पास किये, जो बाद में ज्यों के त्यों ''ब्रिटिश नार्थ अमेरिकन एक्ट'' (British North American Act) में समवेत कर दिये गये और इन्हीं के आधार पर सन् 1867 में ब्रिटिश कामनवेल्थ ऑफ कनाडा (British Commonwealth of Canada) के स्वायत्त शासन प्राप्त उपनिवेश की उत्पत्ति हुई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस कनाडियन सम्मेलन की सारी योजनाएं केवल एक संशोधन के साथ ज्यों की त्यों स्वीकार कर लीं। माननीय सदस्यो, मेरी आशा और प्रार्थना है कि आपका प्रयास भी इसी तरह साफल्य मंडित हो।

अमेरिका की विधान प्रणाली आस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका के विधान निर्माण की योजनाओं में भी कमी-वेशी व्यवहृत की गयी हैं। इससे स्पष्ट है कि सन् 1787 में फिलाडेल्फिया में समवेत अमेरिकन सम्मेलन का परिणाम विभिन्न देशों के स्वतंत्र संघ-शासन-विधान के बनाने के लिए आदर्श स्वरूप माना गया था। इन्हीं कारणों से मैंने यह उचित समझा कि आपका ध्यान अमेरिका की विधान प्रणाली और विधान मूलक नियमों की ओर आकृष्ट करूं कि आप ध्यान से उसका अध्ययन करें, इसलिए नहीं कि आप उसे पूर्णतः ग्रहण करें, बल्कि इसलिए कि अपने सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन के अनुसार उनकी व्यवस्थाओं को आवश्यक संशोधनों के साथ, देश की आवश्यकतानुसार विवेक के साथ अपनायें। श्री मुनरो (Munro) का जो इस विषय के सर्वमान्य अधिकार हैं, कथन है कि अमेरिका का विधान बहुत-सी शर्तों और समझौतों के आधार पर निर्मित है। श्री मुनरो के मन्तव्य के अनुसार ही मैंने आपको यह राय दी है। अपने आधी शताब्दी के सार्वजनिक जीवन के अनुभवों के आधार पर मैं यह और भी कहना चाहता हूं कि भारत जैसे देश के लिए विधान बनाने में तर्कसंगत शर्तों और विवेकपूर्ण समझौतों की जितनी आवश्यकता है, उतनी और कहीं नहीं।

अमेरिकन विधान के आधारभूत सिद्धांतों को तर्कसंगत शर्तों एवं विवेकपूर्ण समझौतों के साथ खूब सोच विचार कर आप स्वीकार करें, ऐसी सिफारिश करते हुए बहुत अच्छा होगा कि मैं उस विषय के सर्वोच्च ब्रिटिश विद्वान श्री विस्काउन्ट ब्राइस (Viscount Bryce) के उल्लेखनीय कथन को उद्धृत करूं जो उन्होंने अपनी अमर पुस्तक दी अमेरिकन कामनवेल्थ (The American Commonwealth) में अमेरिकन विधान के आधारभूत सिद्धान्तों का सारांश रखते हुए यों लिखा है:

> ''अमेरिका का केन्द्रीय संघ केवल एक लीग (जमाअत) नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व वहां के भिन्न-भिन्न स्टेटों या प्रान्तों पर निर्भर नहीं करता। यह तो खुद सर्वशक्ति सम्पन्न कामनवेल्थ और कतिपय कामनवेल्थों का संघ है, क्योंकि उसे तो सीधे प्रत्येक नागरिक पर शासनाधिकार प्राप्त है और वह इस अधिकार को अपने न्यायालयों और अधिकारियों या हाकिमों (Executives) के द्वारा प्रत्येक नागरिक पर लागू करता है। इंग्लैंड या फ्रांस की तरह यहां के भिन्न-भिन्न स्टेट या रियासतें महज संघ के अंतर्गत

एक छोटा-सा इलाका नहीं है, बल्कि उनको अपने नागरिकों पर शासनाधिकार प्राप्त में, जो उन्हें केन्द्रीय संघ से नहीं मिला है।''

यह सम्भव है कि अपनी आवश्यकतानुसार बुद्धिमत्तापूर्वक अपनाई हुई किसी ऐसी ही योजना के स्वतंत्र भारत के विधान का सन्तोषजनक हल मिल जाये और वह विधान इस देश के प्राय: सभी प्रमुख दलों की वाजिब आशाओं और आकांक्षाओं को सन्तोष दे सके। अमेरिकन विधान के महान गुणों पर सर्वोच्च ब्रिटिश विद्वान का उद्धरण मैंने आपको दिया है। अब मैं जॉसेफ स्टोरी (Joseph Story) नामक सर्वोच्च अमेरिकन jurist का काफी लम्बा उद्धरण सुनाता हूं और आशा है, मेरी तरह धीरज रखकर आप सुनेंगे। ''Commentaries on the Constitution of the United States'' नामक प्रसिद्ध पुस्तक के अन्त में आपने कुछ उल्लेखनीय और उत्साहप्रद बातें कही हैं, जिसे आपके मनन योग्य समझकर मैं आपके सामने रखता हूं।

वह यों है:

''अमेरिका के नवयुवकों को यह कभी न भूलना चाहिए कि अपने विधान में उन्हें एक ऐसी ऊंची विरासत मिली है, जिसे उनके पूर्वजों ने अथक परिश्रम, कष्ट और बलिदान करके, अपना खून देकर उपार्जित किया था और यदि ईमानदारी से इसकी रक्षा की जाये और बुद्धिमत्ता से इसे और समुन्नत बनाया जाये तो वह इस योग्य है कि वह उनके सुदूरभावी वंशजों को जीवन की समस्त कामनायें—स्वातंत्र्य, सम्पन्नता और धर्म का सुखद उपभोग—प्रदान कर सकता है। इस विधान की इमारत को बड़े-बड़े कुशल कारीगरों ने बनाया है; इसकी नींव ठोस है; इस इमारत का हर हिस्सा बड़ा फायदेमन्द और खूबसूरत है; इसकी व्यवस्था बुद्धि और तारतम्य से पूर्ण है; इसकी रक्षात्मक व्यवस्था बाहर से अजेय है; यह इस तरह खड़ी की गयी है कि अमर रहे—यदि मनुष्यकृति अमरत्व प्राप्ति की अधिकारी हो सकती है। पर अपने रक्षकों की यानी प्रजा की मूर्खता, उपेक्षा और आचारहीनता से यह इमारत क्षण भर में ढहकर खंडहर बन जा सकती है। मैं चाहूंगा, आप इसे याद रखें कि प्रजातंत्रों की स्थापना होती है नागरिकों के बुद्धिबल से, उनकी जनसेवा भावना और उनके गुणों से, और जब ईमानदार बने रहने का साहस रखने के कारण बुद्धिमान और विवेकपरायण पुरुष जनसभाओं से बहिष्कृत कर दिये जाते हैं और सिद्धान्त-विहीन व्यक्ति जनता को ठगने

के लिये उसकी मिथ्या प्रशंसा या खुशामद कर सम्मान प्राप्त करने लगते हैं, तो प्रजातंत्र विनष्ट हो जाते हैं।''

अमेरिका के आदर्श विधान के बारे में एक और विद्वान का कथन मैं उद्धृत करता हूं। श्री जेम्स (James) जो एक समय अमेरिका के सालिसिटर जनरल थे। ''The Constitution of the United States—Yesterday, Today and Tomorrow'' नामक अपनी पाण्डित्यपूर्ण पुस्तक में लिखते हैं:

''शासन प्रणालियों के महौषधि स्वरूप कितने ही विधान बने और बिगड़े, पर अमेरिकन विधान की स्थिरता के सम्बन्ध में वह ऊंचा उद्‌गार लागू किया जा सकता है, जो डॉक्टर जॉनसन ने महाकवि शेक्सपियर की अमरकीर्ति की प्रशंसा में कहा है। जहां बड़े-बड़े ठोस विधान समय के प्रबल प्रवाह में बह गये, अमेरिका का शक्तिशाली विधान इससे बिल्कुल अछूता बच गया। प्रथम दस संशोधनों को छोड़ कर जो प्रायः मूल प्रस्ताव के ही भाग थे, केवल नौ संशोधन ही 139 वर्षों के दीर्घकाल में अपनाये गये। भला कौन-सी दूसरी शासन प्रणाली है जो जमाने की जांच में इससे ज्यादा पक्की साबित हुई हो।''

माननीय सदस्यो, मेरी यह प्रार्थना है कि जो विधान आप बनाने जा रहे हैं वह भी अमर हो, 'यदि मानव कृति ऐसा महत्त्व पाने का वस्तुतः अधिकारी हो सकती है, और ऐसा प्रबल शक्ति-सम्पन्न हो कि वर्तमान और भविष्य की तमाम विनाशकारी शक्तियों को पद्‌दलित कर दे।

अमेरिका और यूरोप के विधान-निर्माण के कुछ पहलुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर लेने के बाद अब मैं अपने विधान सम्बन्धी प्रश्न के कुछ पहलुओं की ओर लाभ के लिये आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। महात्मा गांधी के सन् 1922 में दिये एक वक्तव्य में विधान-परिषद् का जिक्र मुझे मिला है, यद्यपि इस नाम से नहीं। महात्माजी ने लिखा था:

''स्वराज्य ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से एक उपहार की तरह नहीं होगा। यह तो भारत की समस्त मांगों की स्वीकृति सूचक एक घोषणा होगी, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट एक कानून पास कर, प्रदान करेगी। परन्तु यह घोषणा तो भारतीय जनता की चिर घोषित मांगों की केवल सौजन्यपूर्ण स्वीकृति ही होगी। यह

स्वीकृति बतौर सन्धि या समझौते के होगी जिसमें ब्रिटेन एक पार्टी रहेगा। जब यह समझौता होगा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट भारतीय प्रजा की इच्छानुसार चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की हुई भारतीय जनता की मांगों को स्वीकार करेगी।''

समय-समय पर भिन्न-भिन्न राजनैतिक संगठनों और नेताओं ने भारतीय जनता की इच्छानुसार चुने प्रतिनिधियों से बनी विधान-परिषद् सम्बन्धी महात्माजी की मांग का जबरदस्त समर्थन किया था। पर मई सन् 1934 में रांची (बिहार) में संगठित 'स्वराज पार्टी' ने एक योजना बनाई जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव भी शामिल था। प्रस्ताव यों था:

''यह कान्फ्रेन्स भारतवर्ष के लिये आत्म-निर्णय के अधिकार का दावा करती है और इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करने का एकमात्र रास्ता यह है कि भारतीय जनता के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विधान-परिषद् बुलाई जाये, जो एक स्वीकृति-योग्य विधान बनाये।''

जो नीति इस प्रस्ताव में सन्निहित है, उसे कुछ दिनों बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, जिसकी बैठक बिहार की राजधानी पटना में मई सन् 1934 में हुई थी, स्वीकार किया। इस तरह भारतीय विधान बनाने के लिए विधान-परिषद् की योजना को अखिल भारतीय कांग्रेस ने व्यक्तरूप से अपनाया।

दिसम्बर सन् 1936 में फैजपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में उक्त प्रस्ताव का पुनः समर्थन किया गया। समर्थन करने वाले प्रस्ताव में यों घोषणा की गई थी:

''कांग्रेस भारत में वास्तविक प्रजातंत्रीय राज्य चाहती है, जहां सम्पूर्ण राजनैतिक सत्ता जनता को हस्तान्तरित कर दी गयी हो और हुकूमत (Government) सम्पूर्णतः प्रजा के हाथ में हो। ऐसे राज्य का निर्माण तो ऐसी विधान-परिषद् ही कर सकती है, जो देश के लिए विधान बनाने की समस्त सत्ता रखती हो।''

नवम्बर सन् 1936 में कांग्रेस की कार्य-समिति ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें यह कहा गया था:

''भारत की स्वतंत्रता तथा उसकी जनता को विधान-परिषद् के द्वारा अपना विधान निर्माण करने के अधिकार की स्वीकृति परमावश्यक है।''

मैं यह भी कह दूं कि उपरोक्त प्रस्तावों में जिनसे मैंने उद्धरण दिया है, (जिसे नवम्बर सन् 1939 में कार्य-समिति ने पास किया और सन् 1936 में फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन ने पास किया) यह कहा गया था कि विधान-परिषद् बालिग मताधिकार के सिद्धान्त के आधार पर चुनी जानी चाहिए। जब से सन् 1934 में कांग्रेस ने इस प्रश्न पर नेतृत्व प्रदान किया, देश के प्रायः सभी राजनीति चेतना सम्पन्न वर्गों में विधान-परिषद् का विचार बतौर विश्वास (Article of Faith) की तरह जोर पकड़ गया है।

मार्च सन् 1940 के पहले जबसे मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताव रखा, यह राजनैतिक संगठन (मुस्लिम लीग) इस देश के विधान-निर्माण के लिये विधान-परिषद् ही उचित और उपयुक्त उपाय है, इस विचार के पक्ष में मैं कभी न था। पाकिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद मुस्लिम लीग का रुख विधान-परिषद् की स्थापना के पक्ष में बदल गया है। पर वे दो विधान-परिषदें चाहते हैं, एक तो उस क्षेत्र के लिये जिसे लीग पृथक् मुस्लिम स्टेट बनाने की मांग करती है और दूसरा शेष भारत के लिए। इस तरह कहा जा सकता है कि देश के विधान निर्माण के लिये विधान-परिषद् की कल्पना को इन दोनों प्रमुख राजनैतिक दलों ने सन् 1940 में स्वीकार किया और प्रश्रय दिया। पर दोनों में अन्तर यह था कि कांग्रेस समस्त भारत के लिये एक विधान-परिषद् चाहती थी जब कि मुस्लिम लीग देश में दो राज्यों की मांग के अनुसार दो विधान-परिषदें चाहती थी। अस्तु, चाहे एक परिषद् हो या दो, देश के विधान-निर्माण के लिए विधान-परिषद् ही उपयुक्त उपाय है, यह विचार उस समय तक स्पष्ट रूप में उत्पन्न और जागृत हो चुका था। इसी जबर्दस्त मानसिक जागरण के सम्बन्ध में पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था—''इसका मतलब है कि एक राष्ट्र अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा अपने लिए, स्वशासन निर्माण के लिए अग्रसर हो चुका है।''

मुझे इतना और भी बता देना है कि सप्रू-समिति (Sapru Committee) के सदस्यों ने भी भारत का शासन-विधान बनाने के लिये विधान-परिषद् ही सर्वोत्तम उपाय है, इस कल्पना को पसन्द किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में, जो गत वर्ष सन् 1945 में प्रकाशित हुई है, विधान-परिषद् के निर्माण के लिए एक विशेष योजना भी बनाई है। पर आज हम सब इस सभा में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन द्वारा निर्मित योजना के अनुसार समवेत हुए हैं कांग्रेस, लीग एवं अन्य राजनैतिक संगठनों द्वारा इस मसले पर दिये गये सुझावों से मतभेद रखते हुये भी ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने एक योजना बनाई है। इस योजना को यद्यपि सबने तो नहीं

स्वीकार किया है, पर न सिर्फ देश के प्रमुख राजनैतिक दलों ने और राजनीति-चेतना-सम्पन्न वर्गों ने ही, बल्कि उन लोगों ने भी जिनका किसी खास राजनैतिक-दल से सम्बन्ध नहीं है, उसे वर्तमान राजनैतिक गतिरोध को दूर करने के लिये परीक्षणीय मान कर स्वीकार किया है। यह राजनैतिक गतिरोध अर्से से चला आ रहा है और इसने हमारी समस्त कामनाओं और लक्ष्यों पर पानी फेर रखा है। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की योजना के गुणों पर और कुछ कहूं, क्योंकि इससे मैं मतभेद के प्रश्नों पर विषयान्तरित हो जाऊंगा और मेरी इच्छा नहीं कि मैं इस अवसर पर विषयान्तर में पड़ूं। मैं जानता हूं कि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की योजना के कुछ भाग पर हमारे कुछ राजनैतिक दलों में गहरा मतभेद है और इसलिये मैं नहीं चाहता कि ऐसे स्थल पर चला जाऊं, जहां जाने में बड़े-बड़े राजनैतिक देव भी डरते हों।

माननीय सदस्यो, मुझे भय है कि शायद मैंने आपका काफी समय ले लिया, अतः अब अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। भारतीय इतिहास का यह महान और स्मरणीय अवसर अभूतपूर्व है। देश की जनता की बहुसंख्यक श्रेणियों ने जिस अदम्य उत्साह से इस परिषद् का स्वागत किया है, वह बेजोड़ है। परिषद् सम्बन्धी प्रश्नों ने देश के विभिन्न सम्प्रदायों में जो दिलचस्पी उत्पन्न की है वह अद्वितीय है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या—हमारी राजनैतिक स्वतंत्रता, हमारी आर्थिक स्वतंत्रता—पर समझौता प्राप्त करने की उज्ज्वल आशा आज भी वर्तमान है; और आपको इतनी देर तक रोक रखने में यही एकमात्र औचित्य है। मेरी कामना है कि आपका प्रयत्न सफलीभूत हो। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह आपको अपना मंगलमय आशीर्वाद दे, जिससे आपकी परिषद् की कार्रवाई केवल विवेक, जन-सेवा-भावना और विशुद्ध देशभक्ति से ही परिपूर्ण न हो, बल्कि बुद्धिमत्ता, सहिष्णुता, न्याय और सबके प्रति सम्मान, सद्भावना से भी ओतप्रोत हो। भगवान परिषद् के कार्य संचालन में आपको वह दूरदृष्टि दे, जिससे भारत को पुनः अपना अतीत गौरव प्राप्त हो और उसे विश्व के महान राष्ट्रों के बीच प्रतिष्ठा और समानता का स्थान मिले। महान भारतीय कवि इकबाल की चन्द चिर सुन्दर पंक्तियां आपको इस पुनीत अवसर पर सुनाता हूं। उस कवि को देश का कितना अभिमान था! इस प्राचीन ऐतिहासिक और महान देश के सौभाग्य की अमरता के प्रति उसका कितना ध्रुव विश्वास था! स्मरण रहे कि आपको इस कवि के अमर विश्वास और अभिमान को सही साबित करना है। कविता यों है:

यूनान, मिश्र, रोमां, सब मिट गये जहां से,
बाकी अभी तलक है नामो-निशां हमारा।
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमां हमारा।।

इसका अर्थ यों है:—''ग्रीस, मिस्र और रोम प्रभृति सभी देश दुनिया के पर्दे से उठ गये, पर हमारे देश का नाम और गौरव आज भी समय के विनाशकारी प्रवाह से संघर्ष करता हुआ जीवित है। शताब्दियों से दैव की ही कोप-दृष्टि हम पर रही है, पर अवश्य ही हम में कुछ ऐसे अमर-तत्व हैं, जिन्होंने हमारे विनष्ट करने वाले सारे प्रयासों को पछाड़ दिया है।''

मैं आपसे यह विशेष अनुरोध करता हूं कि आप अपने प्रयत्न में विशाल और उदार दृष्टि से काम लें। पवित्र ग्रंथ बाइबिल हमें सिखाता है—''जहां दूर-दृष्टि नहीं है, वहां मनुष्य का विनाश है।'' *(हर्षध्वनि)*

उपसभापति का मनोनीतकरण

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मुझे केवल व्यक्तिगत कारणों से आपके सामने एक प्रस्ताव रखना है। आशा है, कृपया आप इसका समर्थन करेंगे। अपने चिकित्सक की सलाह से मैं गत कई वर्षों से दोपहर बाद कुछ भी काम करने में असमर्थ हूं। मैं नहीं चाहता कि जलपान के अवकाश के बाद मैं फिर कार्य-संचालन करूं। अत: जब तक मैं अस्थायी सभापति हूं और सभा में परिचय-पत्र (Credential) पेश करने और रजिस्टर में हस्ताक्षर करने का काम चलता है, तब तक के लिये मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह मुझे एक उपसभापति की सहायता दे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पद के लिये श्री फ्रैंक एन्थॉनी (Mr. Frank Anthony) को आप नामजद करें। *(कुछ रुककर)* मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृत घोषित करता हूं।

श्री प्रसन्नदेव रैकुट की मृत्यु

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): मुझे सूचना मिली है कि नियमानुसार चुने हुए इस परिषद् के एक सदस्य बंगाल के श्री प्रसन्नदेव रैकुट की मृत्यु हो गई

है। इस सभा (Constituent Assembly) की ओर से मैं उनके सम्बन्धियों को संवेदना भेजना चाहता हूं। मेरा ख्याल है कि मैं इसे स्वीकृत समझ सकता हूं।

परिचय-पत्र की पेशी और रजिस्टर में हस्ताक्षर

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा): अब मैं समझता हूं कि हमें परिचय-पत्रों की पेशी और रजिस्टर में हस्ताक्षर की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। मैं अपना परिचय-पत्र स्वयं अपने सामने पेश करता हूं। यद्यपि माननीय सदस्यों को इसमें कुछ खास रस्में अदा करनी पड़ती हैं, पर हस्ताक्षर करने के बाद सदस्यों का मंच तक आकर सभापति से हाथ मिलाने की रस्म को मैं हटा देता हूं। कल हम लोगों ने इसकी परीक्षा की और देखा कि हर सदस्य को हस्ताक्षर करने के बाद घूमकर मंच पर आने और सभापति से हाथ मिलाकर अपने स्थान पर जाने में दो मिनट नहीं तो कम से कम डेढ़ मिनट तो अवश्य ही लग जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि यह रस्म हटा देनी चाहिये। मंत्री (Secretary) अब माननीय सदस्यों का नाम पुकारेंगे और सदस्य उनके पास जाकर आप अपना परिचय-पत्र देंगे और रजिस्टर में हस्ताक्षर कर अपने स्थान पर वापिस चले जायेंगे।

निम्नलिखित सदस्यों ने तब अपने परिचय-पत्र (credential) पेश किये और रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर किये:

मद्रास

1. माननीय श्री सी. राजागोपालाचार्य
2. डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया
3. माननीय श्री टी. प्रकाशम्
4. माननीय दीवान बहादुर सर एन. गोपालस्वामी आयंगर
5. दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
6. श्रीमती अम्मू स्वामिनाथन, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
7. मिस्टर एस.एच. प्रेटर, ओ.बी.ई., जे.पी., सी.एम.जेड.एस., एम.एल.ए. (बम्बई)
8. डॉ. पी. सुब्बरायन्
9. महाराज बोब्बिली

10. श्री एम. अनंतशयनम् आयंगर, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
11. प्रोफेसर एन.जी. रंगा, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
12. श्री टी.ए. रामालिंगम चेट्टियर, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
13. श्री के. कामराज नाडर, एम.एल.ए.
14. श्री के. माधव मेनन, एम.एल.सी.
15. श्री बी. शिवाराव
16. श्री के. सन्तानम्
17. श्री टी.टी. कृष्णमाचारी
18. श्री बी. गोपाल रेड्डी, एम.एल.ए.
19. श्रीमती दाक्षायणी वेलायुदन, एम.एल.सी. (कोचीन)
20. श्री बी.आई. मुनिस्वामी पिल्लई, एम.एल.ए.
21. श्री के. चन्द्रमौलि, एम.एल.ए.
22. श्री डी. गोविन्ददास, एम.एल.ए.
23. रेवरेन्ट जेरोम डीसूजा, एस.जे.
24. श्री रामनाथ गोयनका
25. श्री एच. सीताराम रेड्डी, एम.एल.ए.
26. श्री यू. श्रीनिवास मल्लय्या
27. श्री काला वेंकटराव, एम.एल.ए.
28. श्री पी. कुन्हीरामन
29. श्रीमती जी. दुर्गाबाई
30. श्री पी. कक्कन, एम.एल.ए.
31. श्री एम. संजीव रेड्डी, एम.एल.ए.
32. श्री ओ.पी. रामास्वामी रेड्डियर, एम.एल.सी.
33. श्री सी. पेरूमलस्वामी रेड्डी, एम.एल.सी.
34. श्री एम.सी. वीरबाहु पिल्लई
35. मिस्टर टी.जे.एम. विल्सन, एम.एल.ए.
36. श्री पी.एल. नरसिम्हा राजू, एम.एल.ए.
37. श्री एस. नागप्पा, एम.एल.ए.
38. श्री एल. कृष्णास्वामी भारती
39. श्री ओ.वी. अलगेसन
40. श्री वी.सी. केशवराव
41. डॉ. वी. सुब्रह्मण्यम

42. श्री सी. सुब्रह्मण्यम्
43. श्री वी. नाडीमुथु पिल्लई

बम्बई

1. माननीय सरदार वल्लभभाई जे. पटेल
2. माननीय श्री बी.जी. खेर
3. माननीय डॉ. एम.आर. जयकर पी.सी.
4. श्री के.एम. मुंशी
5. श्री शंकर दत्तात्रेय देव
6. श्री नरहर विष्णु गाडगिल
7. श्री एस.के. पाटिल
8. श्रीमती हंसामेहता, एम.एल.सी.
9. डॉ. जोसफ आल्बन डी. सौजा, एम.एल.ए.
10. श्री एम.आर. मसानी, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
11. श्री आर.एम. नलवदे, एम.एल.ए.
12. श्री बी.एम. गुप्ते, एम.एल.ए.
13. श्री एस. निजलिंगप्पा
14. श्री आर.आर. दिवाकर
15. श्री एस.एन. माने, एम.एल.ए.
16. श्री खन्डूभाई कासनजी देसाई
17. श्री एच.वी. पातास्कर, एम.एल.ए.
18. श्री कन्हैयालाल नानाभाई देसाई, एम.एल.ए.
19. श्री के.एम. जेधी

बंगाल

1. श्री शरतचन्द्र बोस
2. डॉ बी.आर. अम्बेडकर
3. श्री किरणशंकर राय, एम.एल.ए.
4. मि. फ्रैन्क रेजीनाल्ड एन्थॉनी, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
5. श्री सत्यरंजन बख्शी
6. डॉ. प्रफुल्लचन्द घोष

7. सर उदयचंद महताब, के.सी.आई.ई., एम.एल.ए.
8. डॉ. सुरेशचंद्र बनर्जी, एम.एल.ए.
9. श्री देवीप्रसाद खेतान, एम.एल.ए.
10. मिसेज लीला रे
11. श्री डम्बर सिंह गुरंग, एम.एल.ए.
12. डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी, एम.एल.ए.
13. श्री आशुतोष मल्लिक, एम.एल.ए.
14. श्री राधानाथ दास, एम.एल.ए.
15. श्री प्रमथरंजन ठाकुर, एम.एल.ए.
16. श्री हेमचंद्र नस्कर, एम.एल.ए.
17. श्री सोमनाथ लाहिरी
18. श्री राजकुमार चक्रवर्त्ती
19. श्री प्रियारंजन सेन
20. श्री प्रफुल्लचंद्र सेन
21. श्री जे.सी. मजूमदार
22. श्री सुरेंद्र मोहन घोष
23. श्री अरुणचंद गुहा
24. श्री धनंजयराम, एम.एल.ए.
25. श्री धीरेन्द्र नाथ दत्ता, एम.एल.ए.

यू.पी.

1. आचार्य जे.बी. कृपलानी
2. माननीय पं. गोविंद बल्लभ पंत
3. माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टंडन
4. माननीय पं. हृदयनाथ कुंजरू
5. श्री गोविन्द मालवीय, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
6. पं. श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
7. श्री मोहनलाल सक्सेना, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
8. आचार्य जुगल किशोर, एम.एल.ए.
9. श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी, एम.एल.ए.
10. श्री श्रीप्रकाश, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
11. श्रीमती सुचेता, कृपलानी
12. सरदार जोगेन्द्र सिंह, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)

13. श्री दामोदरस्वरूप सेठ, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
14. श्री अलगूराय शास्त्री, एम.एल.ए.
15. श्री बंशीधर मिश्र, एम.एल.ए.
16. श्री भगवानदीन, एम.एल.ए.
17. श्री कमलापति तिवारी, एम.एल.ए.
18. श्रीमती कमला चौधरी
19. राजा जगन्नाथ बख्शसिंह, एम.एल.ए.
20. श्री हरिहर नाथ शास्त्री, एम.एल.ए.
21. श्री गोपाल नारायण, एम.एल.ए.
22. श्री फिरोज गांधी
23. श्री जसपत राय कपूर
24. माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू
25. माननीय मि. रफीअहमद किदवई
26. सर एस. राधाकृष्णन
27. श्री दयालदास भगत, एम.एल.ए.
28. श्री ए. धर्मदास, एम.एल.ए.
29. श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव
30. श्री धर्मप्रकाश
31. श्री अजीतप्रसाद जैन, एम.एल.ए.
32. श्री रामचन्द्र गुप्त, एम.एल.सी.
33. श्री प्रागीलाल, एम.एल.ए.
34. श्री फूलसिंह, एम.एल.ए.
35. श्री मसूरिया दीन, एम.एल.ए.
36. श्री शिब्बनलाल सक्सेना
37. श्री खुरशीद लाल
38. श्री सुन्दर लाल
39. श्री हरगोविन्द पंत, एम.एल.ए.
40. श्री आर.वी. धुलेकर, एम.एल.ए.
41. श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, एम.एल.ए.
42. श्री वेंकटेश नारायण तिवारी, एम.एल.ए.

पंजाब

1. दीवान चमनलाल, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
2. सरदार हरनामसिंह
3. सरदार करतारसिंह, एम.एल.ए.
4. सरदार उज्जलसिंह, एम.एल.ए.
5. माननीय श्री मेहरचन्द्र खन्ना
6. सरदार प्रतापसिंह, एम.एल.ए.
7. बख्शी सर टेकचंद
8. सरदार पृथ्वीसिंह आजाद, एम.एल.ए.
9. पंडित श्रीराम शर्मा, एम.एल.ए.
10. राव बहादुर चौधरी सूरजमल, एम.एल.ए.
11. डॉ. गोपीचंद भार्गव, एम.एल.ए.
12. श्री चौधरी हरभजराम, एम.एल.ए.

बिहार

1. माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
2. श्रीमती सरोजिनी नायडू
3. माननीय श्री जगजीवन राम
4. माननीय श्री श्रीकृष्ण सिन्हा
5. श्री सत्यनारायण सिन्हा, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
6. माननीय महाराजाधिराज सर कामेश्वरसिंह, के.सी.आई., ई. दरभंगा
7. डॉ. पी.के. सेन
8. माननीय श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा
9. श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
10. माननीय राय बहादुर श्रीनारायण मेहता
11. श्री देशबंधु गुप्त, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
12. श्री रामनारायण सिंह, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
13. श्री ए.के. घोष, एम.एल.ए.
14. श्री भगवत प्रसाद, एम.एल.ए.
15. श्री बोनीफेस लकरा, एम.एल.सी.
16. श्री रामेश्वरप्रसाद सिन्हा, एम.एल.ए.

17. श्री फूलन प्रसाद वर्मा, एम.एल.ए.
18. श्री महेश प्रसाद सिन्हा, एम.एल.ए.
19. श्री शारंगधर सिन्हा, एम.एल.ए.
20. राय बहादुर श्यामनंदन सहाय, एम.एल.ए., सी.आई.ई.
21. श्री ब्रजेश्वर प्रसाद
22. श्री जयपाल सिंह
23. श्री चन्द्रिका राय, एम.एल.सी.
24. श्री कमलेश्वरी प्रसाद यादव, एम.एल.ए.
25. श्री जगत नारायण लाल, एम.एल.ए.
26. श्री यदुवंश सहाय, एम.एल.ए.
27. श्री गुप्तनाथ सिंह, एम.एल.ए.
28. श्री दीपनारायण सिन्हा, एम.एल.ए.
29. श्री देवेन्द्रनाथ सामन्त, एम.एल.सी.
30. डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा, एम.एल.ए.

मध्यप्रान्त और बरार

1. माननीय पं. रविशंकर शुक्ल
2. डॉ. सर हरीसिंह गौड़
3. माननीय श्री ब्रजलाल नन्दलाल वियाणी
4. श्री रुस्तम खुर्शेदजी सिधवा, एम.एल.ए.
5. श्री सेठ गोविन्ददास, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
6. श्री ठाकुर छेदीलाल, एम.एल.ए.
7. श्री हरि विष्णु कामत
8. मि. सेसिल एडवर्ड गिब्बन, एम.एल.ए.
9. श्री शंकर त्र्यम्बक धर्माधिकारी
10. श्री गुरु आगमदास अगरमनदास, एम.एल.ए.
11. डॉ. पंजाबराव शामराव देशमुख
12. श्री बी.ए. मंडलोइ, एम.एल.ए.
13. श्री एच.जे. खांडेकर
14. श्री एल.एस. भाटकर, एम.एल.ए.

आसाम

1. माननीय श्रीयुत गोपीनाथ बारदोलोई
2. माननीय रेवरेन्ट जे.जे.एम. निकल्सराय
3. श्रीयुत अमियकुमारदास, एम.एल.ए.
4. माननीय श्रीयुत बसन्त कुमार दास
5. श्रीयुत धरणीधर बासू मातारी, एम.एल.ए.
6. श्रीयुत रोहिणीकुमार चौधरी, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)
7. बाबू अक्षयकुमार दास, एम.एल.ए.

सीमाप्रांत

1. मौलाना अबुल कलाम आजाद
2. खान अब्दुल गफ्फार खां

उड़ीसा

1. माननीय श्री हरेकृष्ण मेहताब
2. श्रीमती मालती चौधरी
3. श्री विश्वनाथ दास
4. श्री बोधराम दुबे, एम.एल.ए.
5. श्री लक्ष्मी नारायण साहु, एम.एल.ए.
6. श्री बी. दास
7. श्री नन्दकिशोर दास
8. श्री राजकृष्ण बोस, एम.एल.ए.
9. श्री शान्तनुकुमार दास, एम.एल.ए.

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिनहा): मुझे यह सूचित किया गया है कि सिंध में कोई स्पीकर नहीं है, क्योंकि फिलहाल वहां धारासभा नहीं है। इस स्थिति में वहां की धारासभा के सेक्रेटरी ने परिचय-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं, ये स्वीकार किये जा सकते हैं।

सिंध

1. श्री जयरामदास दौलतराम

दिल्ली

1. माननीय श्री एम. आसफअली

अजमेर-मेरवाड़ा

1. पं. मुकुटबिहारी लाल भार्गव, एम.एल.ए. (केन्द्रीय)

कुर्ग

1. श्री सी.एम. पुनाका, एम.एल.सी.

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिनहा): आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। दोपहर में कोई बैठक न होगी। अब सभा कल बैठेगी। नया कार्यक्रम तैयार किया जायेगा जो अभी प्रस्तुत नहीं है। मैंने वैधानिक सलाहकार के कार्यालय को कहा है कि वह माननीय सदस्यों को कार्यक्रम यदि सम्भव हो तो आज शाम तक पहुंचा दें। मुझे आशा है यह हो जायेगा। जैसा आप चाहें, सभा कल 11 बजे या $11^{1}/_{2}$ बजे बैठेगी।

बहुतेरे सदस्य: 11 बजे।

सभापति (डॉ. सच्चिदानन्द सिनहा): हम लोग कल 11 बजे समवेत होंगे।

तब सभा मंगलवार ता. 10 दिसम्बर सन् 1946 ई. के 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई।

———